क्रम-संख्या—189.

रजिस्ट्रेशन नं०—जी०—11/लाई०—
न्यूज पेपर/91/05—06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 18 जुलाई, 2007

आषाढ़ 27, 1929 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 1293/79-वि—1—07—1(क)31—2007

लखनऊ, 18 जुलाई, 2007

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 पर दिनांक 17 जुलाई, 2007 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 2007 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिनियम द्वारा प्रकाशित किया जाता है :—

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2007

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 2007)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2004 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 15 जून, 2007 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या--7 सन् 2004 की धारा 3 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2004, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में,--

(क) खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:--

"(कक) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो उपाध्यक्ष, जो महिलाएँ होंगी और जिन्होंने महिलाओं के कल्याण के लिए कार्य किया हो और जिनके पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की कोई उपाधि या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता हो ;

(ख) खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा अर्थात:--

(ख) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट सत्रह सदस्य, जिन्होंने महिलाओं के उत्थान और कल्याण के लिए कार्य किया हो

धारा 4 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 4 में :--

(क) उपधारा (1), (2) और (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रख दी जायेंगी अर्थात्:--

"(1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या प्रत्येक सदस्य पद ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि तक अथवा राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगे :

परन्तु यह कि राज्य सरकार ऐसे पदाधिकारियों की पदावधि को बिना कारण बताये किसी भी समय प्रतिसंहृत कर सकती है।

(2) अध्यक्ष 32 वर्ष की आयु से कम होने पर और 60 वर्ष की आयु के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा, कोई उपाध्यक्ष 28 वर्ष की आयु से कम होने पर और 60 वर्ष की आयु के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा और कोई अन्य सदस्य 22 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व और 60 वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा।

(3) अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को क्रमशः राज्य के राज्य मंत्री एवं उपमंत्री का दर्जा दिया जायेगा।"

(ख) उपधारा (5) को निकाल दिया जायेगा।

(ग) उपधारा (7) में शब्द "अध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष, उपाध्यक्ष" रख दिये जायेंगे।

धारा 6 का संशोधन

4-- मूल अधिनियम की धारा 6 में शब्द "अध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष, उपाध्यक्ष" रख दिये जायेंगे।

निरसन और अपवाद

5--(1) उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2007 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14 सन् 2007

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2004 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 2004) उत्तर प्रदेश राज्य में एक राज्य महिला आयोग की स्थापना की व्यवस्था करने के लिए अधिनियमित किया गया था। जनसंख्या और भौगोलिक क्षेत्र के आलोक में समाज के निर्बल वर्गों और युवाओं को प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से मुख्यतः आयोग के गठन में एक अध्यक्ष और सात सदस्यों के बजाय एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सत्रह सदस्यों की व्यवस्था करने, अध्यक्ष और सदस्यों, जिसमें उपाध्यक्ष भी सम्मिलित हैं, की पदावधि तीन वर्ष से घटाकर एक वर्ष करने और अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को क्रमशः राज्यमंत्री एवम् उपमंत्री का दर्जा देने के लिए यह विनिश्चय किया गया कि उक्त अधिनियम को संशोधित कर दिया जाय।

चूँकि, राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 15 जून, 2007 को उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14 सन् 2007) प्रख्यापित किया गया।

तत्पश्चात यह विनिश्चय किया गया कि आयोग के सदस्यों के सम्बन्ध में उपर्युक्त अध्यादेश के उपबन्धों में से क्षेत्र, जाति और वर्ग के प्रतिबन्ध को निकाल दिया जाय।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को उपर्युक्त उपान्तर सहित प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र सिंह,
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR
VIDHAYI ANUBHAG-1

No. 1293/LXXIX-V-1-07-1(Ka)31-2007
Dated Lucknow, July 18, 2007

NOTIFICATION

Miscellaneous

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Mahila Ayog (Sanshodhan) Adhiniyam, 2007 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 16 of 2007) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on July 17, 2007 :–

THE UTTAR PRADESH STATE COMMISSION FOR WOMEN (AMENDMENT) ACT, 2007

(U.P. ACT NO. 16 OF 2007)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Commission for Women Act, 2004.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-eighth Year of the Republic of India as follows :–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Commission for Women (Amendment) Act, 2007.

(2) It shall be deemed to have come into force on June 15, 2007.

Amendment of section 3 of U.P. Act no. 7 of 2004

2. In section 3 of the Uttar Pradesh Commission for Wom Act, 2004 hereinafter referred to as the principal Act,–

(a) *after* clause (a) the following clause shall be *inserted,* namely :–

"(aa) Two Vice-Chairperson who shall be women and have worked for the welfa of women possessing a Degree of University established by law in India or a qualificatic recognized as equivalent thereto, nominated by the State Government;

(b) *for* clause (b) the following clause shall be *substituted* namely :–

(b) seventeen members nominated by the State Government who have worked fo the upliftment and welfare of the women;"

Amendment of section 4

3. In section 4 of the principal Act,–

(a) *For* sub-sections (1), (2) and (3) the following sub-sections shall be *substituted* namely :–

"(1) The Chairperson, a Vice-Chairperson or every member shall hold office for a term of one year from the date he assumes office or at the pleasure of the State Government:

Provided that the State Government may revoke the term of any such office bearers at any time without mentioning any reason.

(2) The Chairperson shall not hold office below the age of 32 years and after the age of 60 years, no Vice-Chairperson shall hold office below the age of 28 years and after the age of 60 years and no other member shall hold office before attaining the age of 22 years and after completing the age of 60 years.

(3) The Chairperson and Vice-Chairperson shall be having the status of Minister of State and Deputy Minister of the State respectively."

(b) Sub-section (5) shall be *omitted.*

(c) In sub-section (7) *for* the words "The Chairperson" the words "The Chairperson, the Vice-Chairperson" shall be *substituted.*

Amendment of section 6

4. In section 6 of the the principal Act *for* the words "The Chairperson" the words "The Chairperson, the Vice-Chairperson" shall be *substituted.*

Repeal and Saving

5. (1) The Uttar Pradesh State Commission for Women (Amendment) Ordinance, 2007 is hereby repealed. U.P. Ordinance no. 14 of 2007

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh State Commission for Women Act, 2004 (U.P. Act no. 7 of 2004) has been enacted to establish a State Commission for Women in the State of Uttar Pradesh . With the object of giving representation to the weaker section and youths of the society in the light of population and the geographical area, it was decided to amend the said Act mainly to provide for the Constitution of the Commission with a Chairperson, two Vice-Chairperson and seventeen members instead of a Chairperson and seven members, reducing the term of office of the Chairperson, and members including the

Vice-Chairperson from three years to one year and giving the status of the Minister of State and the Deputy Minister to the Chairperson and the Vice-Chairperson respectively.

Since the State legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision the Uttar Pradesh State Commission for Women (Amendment) Ordinance, 2007 (U.P. Ordinance no. 14 of 2007) was promulgated by the Governor on June 15, 2007.

Thereafter it has been decided to omit the restrictions of Area, Castes and Class from the provisions of the aforesaid Ordinance with respect to the members of the Commission.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance with the modification as aforesaid.

By order,
VIRENDRA SINGH,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0-ए0 पी0 285 राजपत्र(हि0)-(770)-2007-597 प्रतियां-(कम्प्यूटर/आफसेट)।

पी0एस0यू0पी0-ए0 पी0 174 सा0 विधायी-(771)-2007-850 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।